# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

**प्रकरण संख्या –** 07 / 2018 अपील / प्रतापगढ़
**पंजीयन दिनांक–** 31.05.2018
**निर्णय दिनांक–** 27.06.2019

1. श्री प्रदीप कुमार कोठारी पुत्र स्व. श्री माणकलाल जी कोठारी निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ़
2. श्री गुणपाल पटवा आत्मज श्री इन्द्रमल पटवा निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ़
3. श्री पंकज कुमार गनोड़िया पुत्र स्व. श्री माणकलाल जी गनोड़िया निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ़
4. श्रीमती सीमा मेहता पत्नी श्री भूपेन्द्र मेहता निवासी धरियावद जिला उदयपुर

................ अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्रीमती टमा कुंवर पुत्री श्री भवानीसिंह जी, पत्नी श्री भगतसिंह जी निवासी धरियावद हाल मुकाम बड़ी तहसील बड़गांव जिला उदयपुर
2. श्रीमती भंवर कुंवर पुत्री श्री भवानीसिंह जी, पत्नी श्री शंभूसिंह जी राजपूत निवासी धरियावद हाल मुकाम धाऊजी की बाड़ी, उदयपुर
3. श्रीमती केसर कुंवर पुत्री श्री भवानीसिंह जी, पत्नी श्री अभयसिंह जी राजपूत निवासी धरियावद हाल मुकाम धूणीमाता फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर
4. श्री ईश्वरसिंह पिता श्री भवानीसिंह राजपूत निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ़
5. श्री प्रतापसिंह पिता श्री भवानीसिंह राजपूत निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ़
6. श्रीमती उत्सव कुंवर पुत्री श्री भवानीसिंह जी, पत्नी श्री भोपालसिंह राजपूत निवासी धरियावद हाल मुकाम भीलवाड़ा

7. श्रीमती राजा कुंवर पुत्री श्री भवानीसिंह जी, पत्नी श्री मोहनसिंह राजपूत निवासी धरियावद हाल कन्नोज रोड़ तहसील सावा जिला चित्तौड़गढ़

8. ग्राम पंचायत धरियावद जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़

..................रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थितः—**

श्री सुखदेव : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सुखराम डिडेल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
श्री कल्पित जैन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट—1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धरियावद
के प्रकरण संख्या 05/2016 निर्णय दिनांक 26.04.2018

## निर्णय

**दिनांक—** 27.06.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धरियावद के प्रकरण संख्या 05/2016 निर्णय दिनांक 26.04.2018 के विरूद्ध द्वितीय अपील दिनांक 25.05.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. के साथ पेश की गई है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इस अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धरियावद में स्थित आराजी नम्बर 11/24 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि में श्री भवानीसिंह पिता रतनसिंह राजपूत का 1/2 हिस्सा अंकित था। श्री भवानीसिंह की सन् 1982 में मृत्यु होने के पश्चात् विरासत से मृतक के पुत्रों श्री ईश्वरसिंह, श्री भंवर सिंह, श्री प्रताप सिंह व पत्नी श्रीमती प्रेमकुंवर के नाम नामान्तरकरण संख्या 981 दिनांक 11.02.1985 ग्राम पंचायत धरियावद द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की स्वीकृति के बाद चारों सहखातेदारों ने

भूमि का बंटवाड़ा कर लिया एवं बंटवाड़े अनुसार भूमि उनके नाम पर अलग–अलग खाते में दर्ज हो गयी, तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूमि को अपीलान्ट्स संख्या 1 से 4 को विक्रय कर दी। अपीलार्थीगण में से कुछ ने अपनी उक्त क्रय शुदा खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया तथा उक्त क्रय शुदा भूमि पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 981 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई कि हम पुत्रियां भी मृतक श्री भवानी सिंह की वारिस होने से विवादग्रस्त भूमि में बराबर की हकदार है, किन्तु हमारा नाम उक्त नामान्तरकरण में शामिल नहीं किये जाने से उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए हमारे नाम भी दर्ज करावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उन्हे सुने, पक्षकार बनाये निर्णय दिनांक 26.04.2018 से नामान्तरकरण संख्या 981 को निरस्त करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. के साथ पेश की गई है कि उनके द्वारा भूमि का क्रय कर लेने, इस भूमि के कुछ भाग का संपरिवर्तन करा लेने, उक्त भूमि पर क्रय के पश्चात् काबिज होकर उपयोग में लेने के बावजूद उनके हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय में उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कराई जावें।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 तक की ओर से श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 ने नोटिस लेने से इन्कार किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, अन्यथा भी वह अनोपचारिक पक्षकार है। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ताओं की दिनांक 12.06.2019 को बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उज्र लिये गये कि नामान्तरकरण संख्या 981 के आधार पर विभाजन होकर भूमि स्वतंत्र रूप से चार हिस्से होकर भूमि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारियों के नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज हो गई थी, इस तथ्य को छुपाया गया तथा

उक्त विभाजन के बाद उक्त भूमियों का विक्रय विलेख भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पूर्व अपीलान्ट के नाम दर्ज हो चुका था। रेस्पोडेन्ट पुत्रियां कोपार्सनर नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर भी कोई विचार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपील पूर्व ही अपीलान्ट राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ट हो चुके थे, जिन्हें नजर अंदाज किया गया तथा तथ्यों को छुपाया गया है। विवादित भूमियां नामान्तरकरण संख्या 981 से प्राप्त हितधारियों द्वारा विभाजन कर विक्रय करने के बाद भूमियों का रूपान्तरण होकर 10 से अधिक आवासीय मकान भी बन चुके है। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपीलान्ट को पक्षकार बनने की अनुज्ञा दी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाय।

इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा खण्डन में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद में प्रकरण को मान लिया गया है। अतः एआईआर 1993 दिल्ली पेज 39 तथा आरआरडी 14.09.2018 पेज 552 अनुसार अपील की मयाद अब द्वितीय अपील के स्तर पर पुनः प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सहदायकी के बिन्दु पर एआईआर 2018 एससी पेज 721, एआईआर 2012 एससी पेज 169 एवं एआईआर. 2018 कर्नाटक पेज 62 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में सहदायिकी का नियम पुत्रियों के संदर्भ में लागू नहीं होता। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्रियों के वंचित रहने के कारण उनका अधिकार प्रारम्भ से होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील विधिक रूप से सही होने से स्वीकार किये जाने के कारण तथा अपीलान्ट का हक मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों से अधिक नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम दफा 96 जा.दी. के आवेदन का निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट अपील दायरी के समय राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ट खातेदार थे, परन्तु उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तद्नुसार अपीलान्ट प्रथम दृष्टया आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है। अतः उन्हें सुनवाई का पात्र माना जाकर दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह स्वीकृत स्थिति है कि मूल नामान्तरकरण संख्या 981 में मृतक भवानीसिंह की विरासत में भंवरसिंह, ईश्वरसिंह एवं प्रतापसिंह तीनों पुत्रों तथा भवानीसिंह की बेवा प्रेमकुंवर के नाम ही विरासत स्वीकृत की गई है। पुत्रियां अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्ट को विरासत में अधिकार नहीं दिया गया है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा उनके भाई भंवरसिंह जिसके नाम भी पिता से विरासत खुली है, उसे अथवा उसके वारीसान को या उसके लाऔलाद फोत हो जाने का उल्लेख किये बिना प्रकरण पेश किया है, अर्थात् प्रकरण में एक आवश्यक पक्षकार भंवरसिंह पुत्र भवानीसिंह को आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद उसे पक्षकार संस्थित किये बिना निर्णय पारित किया गया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार को सुने बिना पारित किया गया निर्णय प्रथम दृष्टया विधिक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार हम यह पाते है कि प्रकरण में भवानीसिंह की विरासत में अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्ट पुत्रियों को वंचित किया गया है, परन्तु पुत्रों द्वारा विरासती अधिकार प्राप्त कर भूमियों का विभाजन कर भूमियों का विक्रय कर क्रेतागणों द्वारा भूमि का रूपान्तरकरण करवाकर निर्माण भी किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ट खातेदारों को सुने बिना व उनका पक्ष जाने बिना निर्णय किया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। उभय पक्षों द्वारा प्रकरण में पुत्रियों के सहदायिकी उत्तराधिकार बाबत विवेचन करते हुए तर्क एवं नजीरे पेश की है, परन्तु इस स्तर पर भूमियां सहदायिकी की होने बाबत कोई साक्ष्य अपील स्तर पर उपलब्ध नहीं है, परन्तु उभय पक्षों को इस बिन्दु पर भी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाकर प्रकरण में विवेचन किया जाकर इस बिन्दु पर भी अवधारण किया जाना विधिसम्मत होगा।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार हम यह पाते है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित किया गया अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा समग्र बिन्दुओं पर विवेचन का भी मोहताज है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्ष व भंवरसिंह अथवा उसके

वारीसान को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.08.2019 को पेश हो।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

(एल0 एन0 मंत्री)
**अति. संभागीय आयुक्त,**
**उदयपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official